भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3040
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025

अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं

3040. श्री मनीश तिवारी:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने और स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं को किस प्रकार विनियमित करने की योजना बना रही है;
(ख) जब आवंटन नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से किया जाता है तो सरकार उपग्रह आधारित सेवाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करेगी;
(ग) विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में तीव्र गति के संपर्क की बढ़ती मांग के आलोक में देश में अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाओं के प्रचालन को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा दुरुपयोग या सुरक्षा उल्लंघन रोकने के लिए अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदाताओं के सुरक्षा नयाचारों की निगरानी और विनियमन हेतु क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) दूरसंचार विभाग सेटेलाइट-आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत प्राधिकार प्रदान करता है। एकीकृत लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, आवेदक भारतीय कंपनी अधिनियम-2013 के तहत पंजीकृत एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए। आवेदक को सेटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंस का दिया जाना लाइसेंसिंग के लिए लागू निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अधीन है, जिसमें सुरक्षा शर्तें और संबंधित राष्ट्रीय कानून शामिल हैं। सुरक्षा शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी दूरसंचार ट्रेफिक की निगरानी करने की सुविधा, भारत में सेटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना, भारत से आरंभ होने वाले अथवा भारत में समाप्त होने वाले सभी ट्रेफिक भारत में स्थित

सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे से होकर गुजरेंगे और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बफर जोन का सृजन शामिल है। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसदाता उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है जिनमें लाइसेंस के निलंबन, निरसन या समाप्ति; लाइसेंसधारक पर वित्तीय दंड लगाना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत में अपनी स्पेस केपेसिटी प्रदान करने के लिए किसी भी विदेशी या भारतीय सेटेलाइट प्रणाली/कॉन्सटेलेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) से एक प्राधिकार की भी आवश्यकता होती है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध सेटेलाइट-आधारित सेवाओं के लिये प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम के असाइनमेंट का प्रावधान करता है। इसके अलावा, दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11.07.2024 को स्थलीय एक्सेस सेवाओं के साथ समान अवसर को ध्यान में रखते हुए सेटेलाइट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक लाइसेंसधारियों के संबंध में स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम आवंटन के निबंधन और शर्तों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशें मांगी हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, दूरसंचार विभाग के सेटेलाइट संचार सुधार-2022 ने विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और लाइसेंसधारियों पर वित्तीय शुल्क कम कर दिया है। हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार सेटेलाइट-आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेटेलाइट प्रणालियों के निर्माण/पट्टे, स्वामित्व और प्रचालन के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करते हैं। कई प्रदाताओं ने भारत में सेटेलाइट संचार प्रदान करने के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन किया है।

*****